न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम 65/2022

धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष.......... नन्दु घांसी ....वगैरह।

बनाम

द्वितीय पक्ष .... पंकज कुमार महली .... वगैरह।

20-8-22

वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 08/2022 दिनांक 21.06.2022 धारा 144 द0प्र0सं0 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) नंदु घांसी उम्र 48 वर्ष पे0 इन्द्रमोन घांसी (2) तुलसी देवी, उम्र 44 वर्ष, पति शिबल घांसी (3) ननकु नायक, उम्र 23 वर्ष पे0 माधो घांसी सभी सा0 – पालकोट, थाना – पालकोट, जिला – गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) पंकज कुमार महली उम्र 26 वर्ष पे0 दुर्गा महली सा0– पालकोट, थाना – पालकोट, जिला – गुमला के बीच खाता सं0 208, प्लॉट सं0 4386, रकबा – 3.80 एकड़ में से 0.5 एकड़ भूमि में उभय पक्षो के बीच अपना अपना दावा करने को लेकर आपसी विवाद है। जिसको लेकर उभय पक्ष के बीच तनाव बना हुआ है। फलस्वरूप उभय पक्षों द्वारा अशांति भंग होने की सम्भावना है। थाना प्रभारी पालकोट के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष के लिखित आवेदन पर द्वितीय पक्ष पंकज कुमार महली अन्य के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत आरंभ की गई है।

प्रश्नगत जमीन मौजा पालकोट थाना – पालकोट, जिला – गुमला, खाता सं0 – 208, प्लॉट सं0 – 4386, रकबा – 3.80 एकड़ में शहदेव घांसी वल्द अन्द घांसी, जाति – घांसी के नाम से खतियान में कायमी दर्ज है जो प्रथम पक्ष के पूर्वज है और उनकी खतियानी जमीन है। उक्त जमीन आर0एस0 रिकोर्ड ऑफ राइट में शहदेव घांसी वल्द अन्द घांसी, जाति – घांसी के नाम से खतियानी में कायमी दर्ज है जो प्रथम पक्ष के पूर्वज है और उनकी खतियानी जमीन है। खतियानी रैयत शहदेव घांसी, पिता अन्द घांसी है जिसकी वंशावली निम्नलिखित है :–

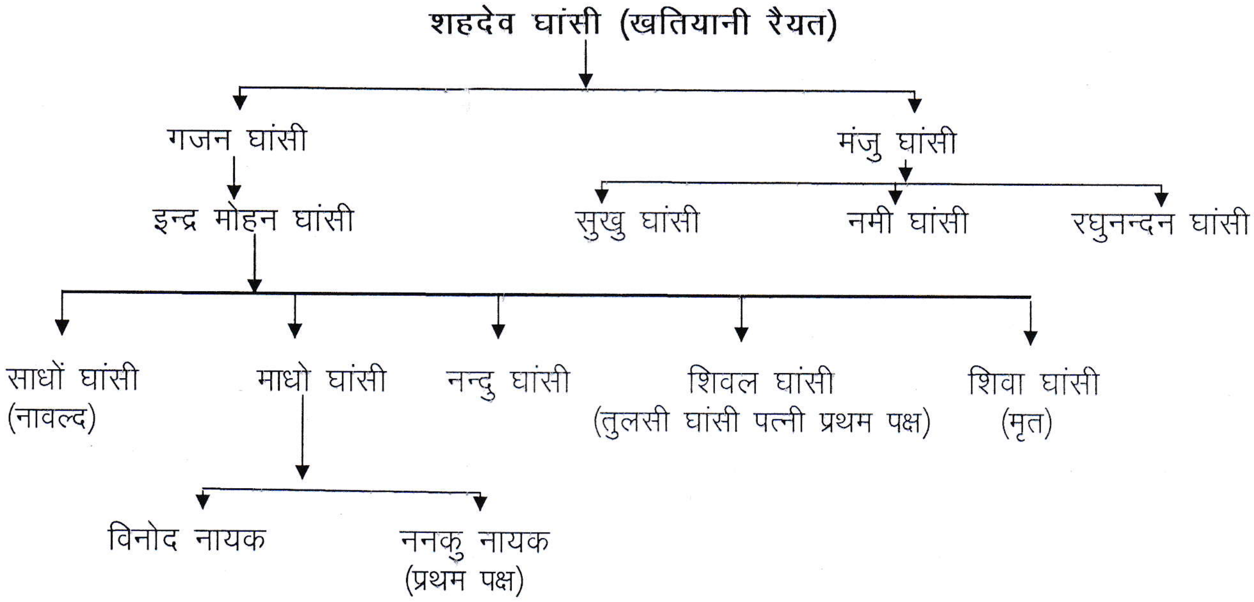

प्रश्नगत जमीन रजिस्टर ।। जमाबंदी इन्द्रमोहन घांसी वगैरह के नाम दर्ज है जो भोलुम नं0 – 01 पेज नं0 – 178 पर दर्ज है। (पंजी ।। छायाप्रति संलग्न है)। उपरोक्त खाते की जमीन सम्मिलाम जमीन है और सबो का एक साथ लगान रसीद कटता है और उक्त खाते की जमीन पर प्रथम पक्ष के पूर्वज औश्र वर्तमान में प्रथम पक्ष के सदस्य शांतिपूर्वक दखलकार एवं काबिज है। उक्त जमीन अन्तर्गत मौजा – पालकोट, थाना – पालकोट, जिला – गुमला, खाता सं0 – 208, प्लॉट सं0 – 4386, रकबा – करीब 5 डी0 जमीन पर द्वितीय पक्ष के सदस्य बिना हक व सरोकार के उक्त जमीन पर बलपूर्वक नींव खोद रहे है और जबरदस्ती ईंटा, बालु गिरा रहे है। मना करने पर जान मारने की धमकी देते है। द्वितीय पक्ष के सदस्य झगड़ालु किस्म के व्यक्ति है और प्रथम पक्ष के सदस्य के खतियानी जमीन बलपूर्वक हड़पना चाहते है जिससे द्वितीय पक्षो के द्वारा कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यो एवं साक्ष्यों के आधार पर श्रीमान् से अनुरोध है कि द्वितीय पक्ष के विरूद्ध कार्रवाई स्थिर करते हुए प्रथम पक्ष के हित में आदेश पारित किया जाय।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 खतियानी की छाया प्रति।
2 पंजी ।। ऑनलाईन की छाया प्रति।
3 सरकारी रसीद की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध किया गया है जो गलत एवं कानुन के विरूद्ध है जो चलने योग्य नहीं है, खारीज करने योग्य है।

खाता नं0 208 मौजा पालकोट, थाना – पालकोट, थाना नं0 63 साविक खतियानी में सहदेव घांसी के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत का कुर्सीनामा निम्न प्रकार है :–

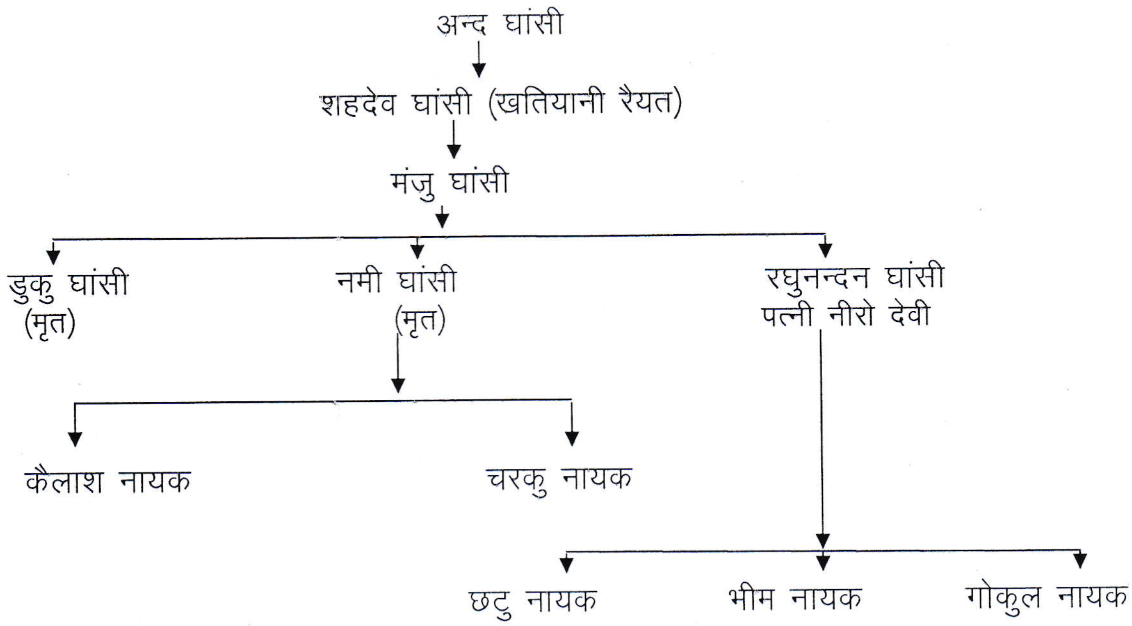

इस वाद के प्रथम पक्ष को विवादित जमीन का खतियानी रैयत से कोई सम्बंध नहीं है। प्रथम पक्ष के सदस्य का विवादित जमीन पर कोई हक सरोकार नहीं है वे गलत दावा कर रहे हैं। खतियानी रैयत के मृत्यूपरांत उसके उतराधिकारी जो कुर्सीनाम में दर्शाया गया है। दखलकार हुए तथा खेती बारी करते आ रहे है तथा सरकार को मालगुजारी भी देते आ रहे है। खतियानी रैयत के पोता रघुनन्दन घांसी की पत्नी निरो देवी, खाता सं0 208, प्लॉट सं0 4386, रकबा – 3.80 एकड़ में से 0.20 एकड़ जमीन अनिल कुमार भगत, पिता – स्व0 जगदेव भगत को दिनांक – 25.01.2006 को रजिस्ट्री पट्टा सं0 182 दिनांक – 25.01.2006 ई0 है। अनिल कुमार भगत जमीन खरीदने के बाद जमीन पर शांतिपूर्वक दखलकार हुए तथा अपने नाम से दाखिल कराकर सरकार को मालगुजारी देते आ रहे है। अनिल कुमार भगत को रूपये की आवश्यकता हुई तो उपरोक्त खरीदगी जमीन को विक्री का विचार बनाये और द्वितीय पक्ष के सदस्य पंकज कुमार महली के मां कौशल्या देवी, पति – दुर्गा राम निवासी ग्राम – टेंगरिया (कैम्बा), पोस्ट – पालकोट, थाना – पालकोट, जिला – गुमला को सादा विक्रीनाम पट्टा द्वारा खाता सं0 208, प्लॉट सं0 4386, रकबा – 2.10 एकड़ में से 0.10 एकड़ जमीन दिनांक – 08.09.2021 को विक्री कर दिये तथा जमीन पर दखलकार बनाये।

द्वितीय पक्ष के सदस्य दिनांक – 08.09.2022 को जमीन खरीदकार दखलकार हुए तथा उपरोक्त जमीन पर अपना मकान बनाने के लिए एक भाग में निर्माण कार्य कर रहे थे तो प्रथम पक्ष बिना किसी हक के विवाद करने लगे। विवादित जमीन को 2006 में ही खतियानी रैयत के वंशज के द्वारा रजिस्ट्री पट्टा के द्वारा विक्री कर दिया गया । जब आज विवाद करने का कोई कारण नहीं बनता है। यदि प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज है तो पहले 2006 में विक्री की गई पट्टा, पट्टा सं0 – 182 को रद्द कराना चाहिए। प्रथम पक्ष के सदस्य बिना किसी हक सरोकार के द्वितीय पक्ष के सदस्य को परेशान करने के लिए यह केस किये है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रथम पक्ष के द्वारा लाया गया यह केस धारा 144 द0प्र0सं0 को खारीज करते हुए धारा 144 द0प्र0सं0 प्रथम पक्ष के विरूद्ध स्थिर कर जमीन पर जाने से रोका जाय तथा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध समाप्त किया जाय।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 रजिस्ट्री पट्टा की छाया प्रति।

2 ऑनलाईन रसीद की छाया प्रति।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, दस्तावेज/कागजात एवं बहस सुनने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि वादग्त भूमि मौजा पालकोट के खाता सं0 208, प्लॉट सं0 – 4386, रकबा – 0.05 एकड़ से संबंधित है। प्रथम पक्ष वादग्त भूमि के खतियानी रैयत के वशंज है। द्वितीय पक्ष के पंकज कुमार महली, पिता – दुर्गा महली वादग्त भूमि को पंजी ।। रैयत अनिल कुमार भगत से क्रय किये है। वादग्त भूमि खाता सं0 208, प्लॉट सं0 4386, रकबा – 0.20 एकड़ को अनिल कुमार भगत, पिता – स्व0 जगदेव भगत खतियानी रैयत के पोता रघुनंदन घांसी की पत्नी नीरो देवी से निबंधित विक्री पट्टा सं0 182 दिनांक – 25.01.2006 से खरीद कर दखल में आये एवं दाखिल खारीज कराकर सरकार को नियमित लगान देते आ रहे है। इसी 20 डी0 में से 10 डी0 भूमि पंकज कुमार महली द्वारा अनिल कुमार भगत से क्रय किया गया और घर बना कर रह रहे है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष का वादग्त भूमि पर हक एवं दखल नहीं है।

अतः मौजा पालकोट उक्त वादग्त भूमि पर प्रथम पक्ष को स्थिर किया जाता है एवं द्वितीय पक्ष के हित में आदेश पारित किया जाता है। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, पालकोट एवं थाना प्रभारी, पालकोट को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.24 11:20:34 +05:30
Location: 192.168.1.4